# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

**बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस**

प्रकरण सं. 14/2019/अपील

1. पप्पूराम उर्फ किशोर पुत्र बेगाराम जाति जाट निवासी चारणवास तूली का तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अपीलांट

ब ना म

1. सरपंच, ग्राम पंचायत रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2. पटवारी, पटवार हल्का रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
3. गिरदावर हल्का जीणमाता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—रेस्पोडेंट्स

**अपील विरूद्ध नामांतरण संख्या 62 दिनांकित 20.06.2007**
**बतस्दीक ग्राम पंचायत रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर**

**उपस्थिति—**

1. श्री सुरेन्द्रपाल धायल, वकील अपीलांट की ओर से।

**निर्णय** **दिनांक— 19.12.2019**

1. अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 1078, 1081, 1082, 1099, 1100, 1101, 1398, 1399, 1434/2056, 1441, 1442 किता 11 कुल रकबा 1.97 हैक्टर वाके ग्राम चारणवास तुलीका तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है जो अपीलांट के पिता खातेदारी बंटवाराशुदा भूमियां थी। अपीलांट के पिता की मृत्यु दिनांक 15.10.2006 को हो चुकी है जिसका वारिस प्रमाण पत्र सरपंच द्वारा जारी किया गया जिसमें अपीलांट का वास्तविक नाम किशोर कुमार न देकर घर का नाम पप्पूराम कर दिया तथा उसी अनुसार अपीलांट के पिता के विरासत का नामांतरण भर दिया गया जो

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

भी गलत है जो निम्न आधारो पर निरस्त होने योग्य है– 1. अपीलांट के पिता की मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत रूपगढ में सरपंच द्वारा जो वारिस प्रमाण पत्र जारी किया गया उसमें अपीलांट का नाम पप्पू कुमार कर दिया जो गलत है तथा इस वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर भरा गया उक्त नामांतकरण निरस्त योने योग्य है। 2. अपीलांट के सभी दस्तावेजों जैसे राशनकार्ड आधारकार्ड, पहचान पत्र आदि मे अपीलांट का नाम किशोर कुमार पुत्र बेगाराम दर्ज है इसके बावजूद सरपंच द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र में अपीलांट का नाम पप्पूराम अंकित किया गया तथा उसी के अनुसार अपीलांट के पिता की विरासत का नामांतकरण बिना कोई जांच किये ही तस्दीक किया गया जो निरस्त योग्य है। अपीलांट अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में पप्पूराम पुत्र बेगाराम होने की जानकारी दिनांक 06.08.2018 को होने पर उसके उसी दिन जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली और तहसीलदार के पास जाने पर रिकॉर्ड देखा जाकर कहा गया कि अपने पिता की विरासत में नामांतरण की नकल लो तो अपीलांट ने दिनांक 20.08.2018 को विरासत के नामांतरण की नकल ली तथा उसी दिन तहसीलदार दांतारामगढ ने कहा कि आपका नाम दुरूस्त हो जायेगा जिस पर अपीलांट ने विश्वास कर लिया कि अब नाम दुरूस्त हो जायेगा। इसके बाद दिनांक 19.09.2019 को तहसीलदार ने नाम दुरूस्ती सें मना करने पर अपील पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 62 दिनांक 20.06.2007 को निरस्त कर अपीलांट के दस्तावेजों के अनुसार वास्तविक नाम किशोर कुमार पुत्र बेगाराम के नाम पुनः भरने के लिए तहसीलदार दांतारामगढ को रिमाण्ड किया जावे।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपीलांट की बहस एकपक्षीय सुनी गई। वकील अपीलांट ने बहस के दौरान

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए आग्रह किया कि अपीलाधीन नामांतकरण गलत तरीके सें बिना जांच किये सरपंच द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर तस्दीक किया गया है अतः ग्राम पंचायत रूपगढ द्वारा स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 62 दिनांकित 20.06.2007 को निरस्त फरमाया जावें तथा अपीलांट का नाम पप्पूराम के स्थान पर किशोर कुमार पुत्र बेगाराम दर्ज करते हुए पुनः नामांतकरण तस्दीक किया जावे।

6. हमने वकील अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन सें स्पष्ट है कि अपीलांट का अन्य सभी दस्तावेजों में नाम किशोर सिंह पुत्र बेगाराम दर्ज है बल्कि अपीलाधीन नामांतकरण में बेगाराम के वारिस अपीलांट का नाम किशोरसिंह के स्थान पर ग्राम पंचायत द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर पप्पू कुमार दर्ज किया गया है तथा इस संबंध में अपीलांट ने ग्राम पंचायत द्वारा जारी परिचय पत्र पेश किया गया है जिसमें अंकन है कि पप्पू कुमार व किशोर सिंह एक ही व्यक्ति है। ग्राम पंचायत रूपगढ द्वारा तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामांतकरण निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 62 दिनांक 20.06.2007 बतस्दीक ग्राम पंचायत रूपगढ तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान के दस्तावेजों में नाम आदि की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।
पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner